प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.08.2025

ग्रामीण जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 250 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये) रिकवर कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाये गये।

CEIR (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्रर) पोर्टल पर ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी, स्नैचिंग/लूट व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ग्रामीण जोन साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 250 मोबाइल फोन (जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये है) की बरामदगी की गई है। सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

थानावार मोबाइल फोन बरामदगी का विवरणः-

1. थाना लोनी – 16
2. थाना ट्रोनिका सिटी – 08
3. थाना अंकुर विहार – 30
4. थाना लोनी बॉर्डर – 15
5. थाना मसूरी – 71
6. थाना मुरादनगर – 30
7. थाना मोदीनगर – 12
8. थाना निवाड़ी- 04
9. थाना भोजपुर- 02
10. थाना वेव सिटी- 12
11. थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक – 50

कुल योग - 250

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से 02 फरसे, एक तमंचा, जिन्दा व खोखा कारतूस एवं कार बरामद।

दिनांक 22/23.08.2025 की रात्रि में थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक कार को चैकिंग हेतु रोकने का इशारा किया गया तो कार सवार नहीं रुके तथा कार को दाहिनी ओर मोड़कर आर्मीग्राउण्ड कट की तरफ भागने लगे। जिससे कार डिवाईडर में टकराकर क्षतिग्रस्त होकर रूक गयी। कार सवार बदमाशों द्वारा पुलिस को अपनी ओर आता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने का प्रयास किया गया किन्तु पुलिस टीम द्वारा अपने आप को बचाते हुये सिखलाये गये तरीके से कार सवार बदमाश को मौके पर घेर लिया तथा मौके पर अभियुक्त 1. राहुल पुत्र प्रकाश निवासी वार्ड नं0 13 सापला थाना सापला जनपद रोहतक हरियाणा 2. सौरभ पुत्र अजीत सिंह निवासी गुम्मनहेडा थाना छावला दिल्ली 3. बन्टी उर्फ कालू पुत्र राजवीर निवासी निकट मेला ग्राउण्ड सापला थाना सापला जनपद रोहतक हरियाणा व अभियुक्ता 4. तनुष्का पत्नी सौरभ हाल निवासी निकट बाल्मिकी पार्क सैक्टर – 12 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद मूल पता गुमनहेडा थाना छावला दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये अभियुक्तों से घटना में प्रयुक्त कार, दो फरसे, एक तमंचा, जिन्दा व खोका कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि कुछ दिन पहले तनुष्का का झगड़ा आर्मीग्राउण्ड में एक महिला से हो गया था। जिसका बदला लेने के लिये आज हम उसके घर जा रहे थे कि आपके द्वारा हम लोगो को पकड़ लिया गया।

<u>नाम पता अभियुक्तः -</u>

1. राहुल पुत्र प्रकाश निवासी वार्ड नं0 13 सापला थाना सापला जनपद रोहतक हरियाणा उम्र 29 वर्ष।
2. सौरभ पुत्र अजीत सिंह निवासी गुम्मनहेडा थाना छावला दिल्ली उम्र 27 वर्ष।
3. बन्टी उर्फ कालू पुत्र राजवीर निवासी निकट मेला ग्राउण्ड सापला थाना सापला जनपद रोहतक हरियाणा उम्र 23 वर्ष।
4. तनुष्का पत्नी सौरभ हाल निवासी निकट बाल्मिकी पार्क सैक्टर – 12 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद मूल पता गुमनहेडा थाना छावला दिल्ली उम्र 29 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. घटना में प्रयुक्त 01 कार रजिस्ट्रेशन नम्बर DL9CAX2009
2. 01 अवैध तमंचा 315 बोर , 01 जिन्दा कारतूस , 01 खोखा कारतूस।
3. 02 फरसे

<u>अभियुक्तों का अपराधिक इतिहासः-</u>

अभियुक्त सौरभ उपरोक्त पर - 03 अभियोग जबरन बसूली से सम्बन्धित दिल्ली में पंजीकृत है।

अभियुक्ता तनुष्का उपरोक्त पर - 02 अभियोग अवैध हथियार एवं लूट से सम्बन्धित थाना सहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद में पंजीकृत है।

अभियुक्त राहुल उपरोक्त पर - 02 अभियोग सोनीपत हरियाणा में पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद एवं थाना वेवसिटी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की संयुक्त कार्यवाही में उड़ीसा राज्य से दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में गाँजे की तस्करी/बिक्री करने वाला 01 शातिर अन्तर्राज्यीय गाँजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 187 किलोग्राम नाजायज गांजा व तस्करी में प्रयुक्त कैन्टर गाडी बरामद

दिनांक-23/08/2025 को क्राइम ब्रान्च एवं थाना वेवसिटी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की संयुक्त कार्यवाही द्वारा उडीसा राज्य से लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र मे गाँजा तस्करी करने वाले 01 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को थाना वेवसिटी क्षेत्र से मुखबिर की सूचना पर इकला इनायतपुर रोड पर समय करीब 12.00 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार गाँजा तस्कर उड़ीसा राज्य से कैण्टर वाहन में प्लास्टिक के तिरपाल नीचे गांजा छिपाकर दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने के लिए तस्करी करके ला रहा था जिसके कब्जे से कुल 187 किलोग्राम नाजायज गाँजा मय आयशर कैण्टर के बरामद हुआ बरामद गांजे की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 75 लाख रूपये है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> पूछताछ पर अभियुक्त राकेश ने बताया कि वह 5वीं पास है। पढाई छोडने के बाद उसने ट्रक ड्राईविंग सीखी व मेरे पास खुद के दो कैण्टर है पूर्व में भी आर0पी0एफ0 शिकोहाबाद से तस्करी में जेल जा चुँका है और करीब 06 माह पूर्व सोनू गुप्ता निवासी एटा व कौशलेन्द्र निवासी फिरोजाबाद के सम्पर्क मे आया जो कि गांजे के तस्कर है व इसके साथी है जो दिल्ली एन0सी0आर0 मे गांजे की खपत कराने वाले थे उपरोक्त दोनों उड़ीसा से कैण्टर में गांजा लोड करके मंगवाते हैं व कैण्टर के आगे पीछे अपनी निजी कार से चलते रहते है आज मेरे गिरफ्तार होने पर दोनो लोग फरार हो गए हैं कौशलेन्द्र व सोनू गुप्ता के कहने पर हम यह गांजा उड़ीसा राज्य से चोरी से छिपाकर कैण्टर में ला रहे थे सोनू व कौशलेन्द्र दोनो ही गांजे के बड़े तस्कर है।

फरार अभियुक्त सोनू गुप्ता व कौशलेन्द्र को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा तथा गिरफ्तार अभियुक्त राकेश उपरोक्त के विरुद्ध विवेचनात्मक, अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.राकेश पुत्र महेश चन्द निवासी ग्राम माधौ गंज थाना शिकोहाबाद जनपद-फिरोजाबाद उम्र करीब 42 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.गांजा नाजायज – 187 किलोग्राम

2.तस्करी मे प्रयुक्त कैन्टर रजिस्ट्रेशन नं0-UP87 DT2415

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त राकेश के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है व रेलवे के अभियोग के सम्बन्ध में आर0पी0एफ0 शिकोहाबाद से सम्पर्क कर आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना वेवसिटी पुलिस टीम

साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 105000/- रू0 की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 23.08.2025 को साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री अजय नि0 ब्रहमपुत्र एनक्लेव सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 105000/- रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साईबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20.08.2025 को आवेदक श्री अजय नि0 ब्रहमपुत्र एनक्लेव सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ 105000/- रू० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 23.08.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सेल पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे चोरी की 06 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 23.08.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान रिछपाल गढी की पुलिया के पास से मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त नरेन्द्र कुमार माझी पुत्र विरेन्द्र माझी हाल निवासी म0नं0 142 खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम माढीपुर थाना माझी जिला छपरा बिहार उम्र करीब 37 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर पंजीकृत चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई तथा अभियुक्त की निशानदेही से अन्य चोरी की 05 मोटर साइकिल भी बरामद की गयी। अभियुक्त से बरामद चोरी की मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में धारा 317(2)/317(5) बी.एन.एस के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य 05 मोटर साइकिलो के बारे मे जानकारी की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि जो मोटरसाइकिले मुझसे बरामद हुई है उनमे से 01 मोटरसाइकिल मैंने कुछ दिन पहले अपने दो अन्य साथी आकाश व आलोक के साथ मिलकर क्रॉसिंग रिपब्लिक गोलचक्कर के पास से चोरी की थी, पुलिस से बचने के लिए मैंने उसकी नम्बर प्लेट को हटा दिया था। अपना खर्च चलाने के लिए मैं रेपिडो बाइक चलाता हूं तथा अधिक पैसा कमाने के चक्कर मे मैंने लास्ट आईपीएल में उधार लेकर रुपये लगाये थे, जिनको मैं IPL के सट्टे में हार गया था, अपने उधार के रुपये चुकाने के लिए मैने अपने साथी आकाश व आलोक के साथ मिलकर पूर्व में अलग-अलग जगह से अन्य 05 मोटरसाइकिले चोरी की थी, जिनको हम बेचने की फिराक मे लगे हुए थे कि उससे पहले मुझे पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

नरेन्द्र कुमार माझी पुत्र विरेन्द्र माझी हाल निवासी म0नं0 142 खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम माढीपुर थाना माझी जिला छपरा बिहार उम्र करीब 37 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर मोटरसाइकिल चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी की मोटरसाइकिलो की बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

अलग-अलग जगह से चोरी की गयी 06 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.08.2025 को वादी द्वारा थाना भोजपुर पर प्रार्थना-पत्र दिया गया कि मेरी पुत्री उम्र लगभग 14 वर्ष ने मेरी पत्नी को बताया कि अभि0 गौरव व मोहित मेरे साथ छेडछाड करते है, अभि0 गौरव द्वारा पीडिता को उसकी कोई आडियो रिकार्डिंग से ब्लैकमेल करके बुलाकर गलत काम करने के लिए दबाव बनाना, मना करने पर थप्पड मारना, जान से मारने की धमकी देना व मार्च 2025 में अभि0 मोहित द्वारा अपने साथी गौरव के सहयोग से पीडिता को जान से मारने की धमकी देकर 2-3 बार गलत काम करना । जिसके सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर तत्काल धारा 74/115(2)/351(3)/64(1)/61(2)/110 बीएनएस व 4(2)पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त गण की तलाश/गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 23.08.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहित पुत्र हरेन्द्र निवासी सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को सांझी छत ढाबा के पहले पुलिया थाना क्षेत्र भोजपुर से गिरफ्तार किया गया। दूसरे अभियुक्त गौरव पुत्र बिजेन्द्र की गिरफ्तारी हेतु टीम लगी हुई है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वादी व वादी की पुत्री से हमारी आपस में जान-पहचान है। एक दिन मौका पाकर मैंने अपने दोस्त गौरव के सहयोग से पीडिता को डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहित पुत्र हरेन्द्र निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर कमि0गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त मोहित उपरोक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है ।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना भोजपुर पुलिस टीम।